राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	3403 / 2025	हमीर सिंह राजावत	1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर। 3. अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2.	3404 / 2025	मोहम्मद जाविर	
3.	3405 / 2025	संजय कुमार वर्मा	
4.	3406 / 2025	आनंद कुमार	

आदेश की दिनांक : 18.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपील पर सुनवाई की गई।

2. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एक समान है इसलिए समस्त अपीलों में समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3403 / 2025 हमीर सिंह राजावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तथ्य अंकित किए जा रहे है।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि फार्मासिस्ट के 1209 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 26.02.2013 को विज्ञापन जारी किया गया था। दिनांक 12.08.2016 को अंतिम चयन सूची जारी की गई, जिसमें याचिकाकर्ता का क्रमांक 63 है। तत्पश्चात, आदेश दिनांक 16.08.2016 (अनुलग्नक–1) द्वारा 554 अभ्यर्थियों के पक्ष में नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश जारी किए गए। विज्ञापन कुल 1209 पदों के लिए जारी किया गया था लेकिन अपीलार्थी को छोड़कर केवल 554 उम्मीदवारों को नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश जारी किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश

दिनांक 08.02.2017 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी सहित 73 अभ्यर्थियों के पक्ष में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया, जिसमें अपीलकर्ता का नाम क्रम संख्या 15 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग ने उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों से पहले निम्न योग्यता वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी। जिन अभ्यर्थियों को दिनांक 16.08.2016 को नियुक्ति दी गई थी, उन्होंने अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली और दिनांक 30.10.2018 और 14.12.2018 के आदेश के अनुसार सेवा में स्थायी हो गए और उन्हें जुलाई 2019 में वेतन वृद्धि दी गई, लेकिन विलंब से नियुक्ति दिए जाने के कारण अपीलार्थी ने फरवरी 2019 को अपनी परिवीक्षा पूरी की और उन्हें जुलाई 2020 में वेतन वृद्धि दी गई (क्योंकि स्थायीकरण के बाद 6 महीने का समय जुलाई 2019 में पूरा नहीं हो सका) जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि से वंचित होना पड़ा। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 17.08.2020 को काल्पनिक लाभ प्रदान करने हेतु एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसे हरिबक्स कांवटिया अस्पताल, शास्त्री नगर, जयपुर के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दिनांक 08.09.2023 को अग्रेषित किया गया (अनुलग्नक–3)। इसी प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष एसबीसीडब्ल्यू संख्या 14654/2016 महिपाल सिंह भाटी बनाम राजस्थान एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2021 (अनुलग्नक–4) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी को विलम्ब से नियुक्ति दिए जाने के कारण उसकी वरिष्ठता समाप्त हो गई है तथा उसे उसके समकक्षों के साथ पदोन्नति एवं चयन वेतनमान से वंचित कर दिया जाएगा।

4. अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि को निर्देश दिया जाए कि वे अपीलार्थी को वरिष्ठता, वेतन निर्धारण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, चयन वेतनमान और कानून के तहत स्वीकार्य अन्य लाभ प्रदान करें, साथ ही योग्यता में कनिष्ठ कार्मिक को फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति दिए जाने की तारीख से सभी परिणामी लाभ भी प्रदान करें।

5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
8. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 3403/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपील में संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष